संख्या- 02/2019/485/बयालिस-2019-29(निर्माण)/2009

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 20 फरवरी, 2019**

विषय- जनपद कासगंज में स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 1441/नि0 कासगंज स्टे0 पत्रा0/ 2016-17, दिनांक 17.01.2019 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0- 9(भाग-1) प्रपत्र संख्या-207/बयालिस-2019-29 (निर्माण)/2009, दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से जनपद कासगंज में स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 292.80 लाख (रूपया दो करोड़ बानन्वे लाख अस्सी हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 292.80 लाख (रूपया दो करोड़ बानन्वे लाख अस्सी हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को लम्बे समय तक पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/ बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(3)- पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा,सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-96-जनपद कासगंज में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा ।

संलग्नक :- यथोक्त ।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 485(1)/बयालिस-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, कासगंज।
5- क्रीड़ाधिकारी, कासगंज।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
10- नियोजन अनुभाग-4
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0 एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या- 22 **पूँजी लेखा** **वित्तीय वर्ष 2018-19**

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**
1	2	3	4	5	6
4202-शिक्षा,खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-					
85-विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर में सिन्थैटिक हॉकी स्टेडियम का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य 420203800850024	320.00	292.80	292.80	292.80	27.20
कुल योग	320.00	292.80	292.80	292.80	27.20

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				**वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा**	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)**
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-96-जनपद कासगंज में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " 420203800960024	200.00	492.80	292.80	292.80	492.80
कुल योग	**200.00**	**492.80**	**292.80**	**292.20**	**492.80**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1)- स्तम्भ- 3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

मद संख्या- 85 के सापेक्ष विजयखण्ड गोमतीनगर में सिन्थैटिक हॉकी स्टेडियम के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है, अतएवं इस मद में बचत हो रही है।

(2)- स्तम्भ- 8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

जनपद कासगंज में स्टेडियम के निर्माण हेतु शासन स्तर से रू0 909.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अनुमोदित लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित बजट रू0 200.00 लाख को स्वीकृत करते हुए योजना पर रू0 600.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जा चुकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा दिनांक 16.01.2019 को आहूत बैठक में अनुमोदित लागत के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि रू0 309.30 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(3)- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(विनीत प्रकाश)
उप सचिव।

संख्या : आर0ई0- 349/ई-5-159/दस-2018, दिनांक : 08.02.2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव,
वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग- 5

संख्या- 207/बयालिस-2019-29(निर्माण)/2009, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबधित विभागाध्य (नियंत्रक अधिकारी)
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

(विनीत प्रकाश)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।